संख्याः- 32/2020/198/20-24/36/2017- टी०सी-सी०एक्स०-4

प्रेषक,

आर०पी० सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ ।

गृह (गोपन) अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 29 जुलाई, 2020

विषयः महामहिम राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के दिनांक 14/ 15-09-2017 को जनपद लखनऊ/कानपुर आगमन पर उनके साथ आये मेहमानों अधिकारियों हेतु Refreshment on board आदि पर हुये व्यय पर होटल ताज, गोमती नगर, लखनऊ से प्राप्त बिल रू० 1,81,130/- के भुगतान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या - 132/वरि०सहा० प्रोटोकाल/2019, दिनांक 28-02-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राष्ट्रपति, भारत के दिनांक 14-15 सितम्बर, 2017 को जनपद लखनऊ/कानपुर आगमन पर उनके साथ आये मेहमानों, अधिकारियों हेतु Refreshment on board आदि पर हुये व्यय पर होटल ताज, गोमती नगर लखनऊ से प्राप्त बिल रू० 1,81,130/- (रूपये एक लाख इक्यासी हजार एक सौ तीस मात्र) आवंटित करते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सम्बन्धित बिल/बाउचर्स मूलरूप में संलग्न कर वापस किये जा रहे हैं। इस बात पर ध्यान रखा जाए कि उक्त मद में किसी भी देयक का भुगतान दुबारा न होने पाये।

3- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण एवं भुगतान सम्बन्धी विवरण ट्रेजरी वाउचर संख्या एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए प्रोटोकाल अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये।

4- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय की अनुदान संख्या-84 के लेखा "2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्री स्थापनाये-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि" के नाम डाला जाएगा ।

5- यह विषयक वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-5-966/दस-2020 दिनांक 23-07-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नकः यथोक्त (बिल मूल रूप में)

भवदीय
आर०पी० सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 32/2020/198(1)/20-24/36/2017- टी०सी-सी०एक्स०-4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. प्रोटोकाल अनुभाग ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी उ०प्र० शासन ।
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से
सुनील कुमार द्विवेदी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in